बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

आ0-प्र0-01/ल0ज0स0/स्था0(क0अ0)-12/2025 100 /पटना, दिनांक- 11.4.25

-:: आदेश ::-

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-01/2019 के आलोक में कनीय अभियन्ता(असैनिक/यॉंत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं लघु जल संसाधन विभाग आवंटित अभ्यर्थियों को अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का आदेश सं0-34 एवं 35 दिनांक-31.01.2025 द्वारा कनीय अभियन्ता(असैनिक/यॉंत्रिक) के पद पर नियुक्त किया गया है । तदोपरान्त अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का आदेश सं0-115, 116, 117 एवं 118 दिनांक-01.03.2025 द्वारा विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/अन्य कार्य विभागों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया गया है । उक्त आदेश की कंडिका-3 में नवनियुक्त कनीय अभियन्ताओं(असैनिक/यॉंत्रिक) को निदेशित किया गया है कि "नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(असैनिक/यॉंत्रिक) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर पदस्थापित स्थान/प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान देना अनिवार्य होगा", उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ।

2. इसी क्रम में नवनियुक्त कनीय अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न कारणों यथा पूर्व नियोक्ता के स्तर से त्याग-पत्र स्वीकृत/विरमण-पत्र निर्गत होने में विलम्ब, स्वास्थ्य अथवा उच्चतर शिक्षा जारी रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए योगदान अवधि विस्तार करने से संबंधित अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया है ।

3. अतः प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या-115, 116, 117 एवं 118 दिनांक-01.03.2025 की कंडिका-03 में अंकित योगदान करने की समय-सीमा 01(एक) माह की अवधि को अगले 01(एक) माह तक विस्तारित किया जाता है ।

4. वैसे सभी नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(असैनिक/यॉंत्रिक) जिनके द्वारा अभी तक अपने पदस्थापित स्थान/प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापित स्थान/प्रतिनियुक्त विभाग में विस्तारित अवधि में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

अजय कुमार 11.4.2025

(अजय कुमार)

सरकार के उप सचिव

लघु जल संसाधन विभाग ।